फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री अरूण मैथ्युज जॉर्ज पता मजदूर किसान शक्ति संगठन, भीम तहसील भीम जिला राजसमनद
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 49 / 2025**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक [illegible]1.07..2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः एफ.1( )सू0अ0,05 / 120 / 2025 / 445 दिनांक 04.06.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी / अपीलान्ट आवेदन पत्र जरिये ऑनलाईन पोर्टल से दिनांक 03.04.2025 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत प्रस्तुत किया गया। आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध प्रभारी अधिकारी भूमि अवाप्ति अनुभाग से होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के पत्रांक जरिये पत्रांक 324 दिनांक 09.04.2025 से संबंधित कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी भूमि अवाप्ति अनुभाग के पत्रांक 743 दिनांक 24.04.2025 से अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा ईप्सित सूचना ब्यावर–बाघान सेक्शन के लिए भूमि अवाप्ति की 3डी की अधिसूचना का.आ. 3512(अ) दिनांक 27.11.2013 में भूमियों की मुआवजा राशि भुगतान संबंधित प्रतिया चाही गई, इसके क्रम में प्रार्थी को जरिये ऑनलाईन पोर्टल से क्रमांक 8438212662 दिनांक 25.04.2025 को भूमि अवाप्ति अनुभाग के पत्रांक की प्रति अपलोड कर सूचित किया गया। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन के संबंध में प्रार्थी को निश्चित समयावधि सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना में आवेदक हितबद्ध व्यक्ति नहीं है, इप्सित सूचनाएं तृतीय पक्ष से संबंधित है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तृतीय पक्ष से संबंधित होने से वांछित सूचना उपलब्ध करवाना विधिनुमत नहीं है। परन्तु अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार 48 खातेदार से संबंधित

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

ब्यावर–बाघान सेक्शन के लिए भूमि अवाप्ति की 3डी की अधिसूचना का.आ. 3512(अ) दिनांक 27.11.2013 में भूमियों की मुआवजा राशि भुगतान संबंधित प्रतिया चाही गई।

अतः लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावना एवं उदेश्यो को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है, से संबंधित सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत नियमानुसार राशि ली जाकर उपलब्ध करवाई जाकर रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत करावे। अतः अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)